

मानसी मुदगिल बनाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

शिक्षा (राकेश कुमार जैन, जे.)

समक्ष राकेश कुमार जैन से पहले, जे.

मानसी मुदगिल-याचिकाकर्ता

बनाम

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड -प्रतिवादी

2018 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 2096

03 मार्च, 2018

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-याचिकाकर्ता ने 2001 में सी. बी. एस. ई. माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण की-उसकी जन्म तिथि प्रमाण पत्र में 24.11.1985 के रूप में दर्ज की गई थी-2013 में जर्मनी के लिए वीजा के लिए आवेदन करते समय उसने पाया कि जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज उसकी जन्म तिथि 24.11.1984 और उसने सी. बी. एस. ई. में जन्म तिथि में सुधार के लिए आवेदन किया-सी. बी. एस. ई. ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर अभ्यावेदन का फैसला नहीं किया, जिससे उसे वर्तमान रिट याचिका दायर करने के लिए प्रेरित किया गया-सी. बी. एस. ई. द्वारा केवल यह दलील दी गई थी कि परीक्षा उपनियमों के नियम 69.2 के अनुसार, परिणाम की घोषणा के केवल एक वर्ष के भीतर सुधार किया जा सकता है-अदालत ने कहा कि एक वर्ष की शर्त केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए थी और यह एक उपाय को रोकने वाले सीमा अधिनियम के प्रावधान की तरह काम नहीं करती है।— रिट याचिका स्वीकार की गयी ।

दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में याचिकाकर्ता ने पहले ही आधार कार्ड प्राप्त कर लिया है जिसमें उसकी जन्म तिथि 24.11.1984 के रूप में उल्लिखित है।यदि मैट्रिक प्रमाणपत्र में उसकी जन्म तिथि आधार कार्ड में उल्लिखित जन्म तिथि से मेल नहीं खाती है तो याचिकाकर्ता को हमेशा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।याचिकाकर्ता ने निश्चित रूप से उस समय गलती की है जब उसकी जन्म तिथि स्कूल में दर्ज की गई थी, हालांकि उसकी सही जन्म तिथि 24.11.1984 है जिसका जन्म प्रमाण पत्र पर

उल्लेख किया गया है । मैं इस तथ्य से भी प्रभावित हूं कि जन्म प्रमाण पत्र में याचिकाकर्ता की जन्म तिथि का पंजीकरण 26.11.1984 यानी उसके जन्म के 2 दिन बाद किया गया था।इसलिए, जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज याचिकाकर्ता की जन्म तिथि में किसी भी हेरफेर की कोई संभावना नहीं है।यदि जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से अब जन्म तिथि दर्ज की गई होती तो मामला पूरी तरह से अलग होता क्योंकि तब अदालत एक पल के लिए सोच सकती है कि याचिकाकर्ता की कार्रवाई विचार के बाद की गई है, लेकिन चूंकि, जन्म तिथि याचिकाकर्ता की जन्म तिथि के ठीक दो दिन बाद दर्ज की गई थी, यह इस तथ्य को विश्वास दिलाता है कि वह वास्तव में 24.11.1984 पर पैदा हुई थी। (पैरा 7)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता के समक्ष एकमात्र बाधा सीबीएसई के परीक्षा उपनियमों के खंड 69.2 (iv) में प्रदान की गई सीमा की अवधि है, जिसके आधार पर प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है।इस संबंध में, याचिकाकर्ता ने केरल उच्च न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया है जो अरुण बनाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड; 2010 (126) एफ. एल. आर. 94 के मामले में दिया गया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जन्म तिथि में सुधार के लिए आवेदन करने के लिए खंड 69.2 (iv) में प्रदान की गई सीमा की अवधि केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए है और यह सीमा अधिनियम, 1961 के तहत प्रदान किए गए उपाय को रोकने के लिए सीमा की अवधि नहीं है।(पैरा 8)

गोपाल शर्मा, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता नितिन कांत सेतिया।

राकेश कुमार जैन, जे (मौखिक)

(1) यह याचिका दर्ज की गयी है परमादेश रिट को देखते हुए, प्रतिवादी को यह आदेश देने के लिए कि वह वादी की जन्म तिथि मेट्रिक प्रमाण पत्र में जन्म तिथि जन्म प्रमाण

पत्र के अनुसार ठीक करें 1 जो प्रावधान जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में है (यह अधिनियम सन्दर्भ है) 1

(2) संक्षेप में, याचिकाकर्ता ने वर्ष 2001 में सीबीएसई से अपनी माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण की। वह एमएलएस डीएवी पब्लिक स्कूल, नारनौल, जिला महेंद्रगढ़ की छात्रा थी। उनकी जन्म तिथि स्कूल प्रमाणपत्र में 24.11.1985 के रूप में उल्लिखित थी। याचिकाकर्ता ने वर्ष 2013 में शादी की थी। उसके पति को जर्मनी में एक काम मिला है, वह उसके साथ जाना चाहती थी और उसे वीजा के लिए आवेदन करना पड़ता है। चूंकि, जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता है, इसलिए याचिकाकर्ता ने पंजीयक (जन्म और मृत्यु) नगर निगम, गुरुग्राम से अपना जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया और पाया कि जन्म प्रमाण पत्र में उसकी जन्म तिथि का उल्लेख 24.11.1985 के बजाय 24.11.1984 के रूप में किया गया है। याचिकाकर्ता ने अन्यथा 24.11.1984 की सही जन्म तिथि के साथ आधार कार्ड प्राप्त किया है। जो भी हो, मैट्रिक प्रमाणपत्र में गलती का एहसास करते हुए, याचिकाकर्ता ने जन्म तिथि में 24.11.1985 से 24.11.1984 में सुधार की मांग के लिए एक अभ्यावेदन के साथ CBSE से संपर्क किया ताकि वह जर्मन दूतावास में वीजा के लिए आवेदन करने की स्थिति में हो सके। अन्यथा उनकी जन्म तिथि के बारे में उनके मैट्रिक प्रमाण पत्र में विसंगति थी जो अधिनियम के तहत जारी जन्म प्रमाण पत्र के अनुरूप नहीं थी। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व सी. बी. एस. ई. के पास लंबित रहा, इसलिए वर्तमान याचिका दायर की गई है।

(3) प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि वह कोई जवाब दाखिल नहीं करना चाहते हैं और उन्होंने सी. बी. एस. ई. के परीक्षा उपनियम संख्या 69.2 पर भरोसा किया है, जिसके अनुसार इस प्रकार के सुधार की मांग के लिए एक सीमा प्रदान की गई है, जो परिणाम की घोषणा की तारीख से एक वर्ष की अवधि है। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता के पास एक अधिकार हो सकता है, लेकिन उसकी मैट्रिक परीक्षा के परिणाम की घोषणा के एक वर्ष की समाप्ति के बाद उसने समाधान खो दिया।

(4) इसके विपरीत, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने 2016 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 8603 में दिए गए इस न्यायालय द्वारा शिफा चावला बनाम केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड के

निर्णय पर भरोसा किया है, 18.05.2017 को निर्णय लिया, जिसमें इसी तरह का विवाद था क्योंकि उस मामले में भी जन्म वर्ष दर्ज करने में त्रुटि थी अन्यथा महीना और तिथि समान थी। वर्तमान मामले में भी, जन्म वर्ष के बारे में विवाद है अन्यथा तिथि और महीना समान है क्योंकि याचिकाकर्ता ने अनजाने में सीबीएसई के समक्ष उल्लेख किया है कि वह "24.11.1985" पर पैदा हुई थी, जबकि वह वास्तव में "24.11.1984" पर पैदा हुई थी।

(5) याचिकाकर्ता ने आगे इस न्यायालय द्वारा 2016 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 21287 में पारित एक आदेश पर भरोसा किया है जिसका शीर्षक मंथन छाबड़ा बनाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं अन्य, जिसका 09.03.2017 को निर्णय लिया गया जिसमें इस न्यायालय द्वारा सीबीएसई को मैट्रिक प्रमाण पत्र में जन्म तिथि में सुधार के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने और उसके बाद एक नया प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जारी किया गया था। उन्होंने अखेंद्र गर्ग बनाम केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व अन्य के मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का भी उल्लेख किया है। जिसमें न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि वैधानिक प्रावधानों और उप कानूनों के बीच टकराव है, तो वैधानिक प्रावधान प्रबल होगा।

(6) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि वैधानिक प्रावधान उस अधिनियम के प्रावधान होंगे जिसके तहत जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया था और इसलिए, उक्त जन्म प्रमाण पत्र मैट्रिक प्रमाण पत्र में उल्लिखित तिथि के ऊपर प्रबल होगा और इस संबंध में, इस न्यायालय की खण्ड पीठ ने रेशम सिंह बनाम भारत संघ और अन्य 2 के मामले में यह निर्णय दिया है कि यदि जन्म और मृत्यु पंजीयक द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म तिथि और स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में जन्म की प्रविष्टि के बीच कोई टकराव है, तो जन्म प्रमाण पत्र में प्रविष्टि प्रबल होगी।

(7) दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में याचिकाकर्ता ने पहले ही आधार कार्ड प्राप्त कर लिया है जिसमें उसकी जन्म तिथि 24.11.1984 के रूप में उल्लिखित है। यदि मैट्रिक प्रमाणपत्र में उसकी जन्म तिथि आधार कार्ड में उल्लिखित जन्म तिथि से मेल नहीं खाती है तो याचिकाकर्ता को हमेशा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। याचिकाकर्ता ने निश्चित रूप से उस समय गलती की है जब उसकी जन्म तिथि स्कूल में दर्ज की गई

थी, हालांकि उसकी सही जन्म तिथि जिसका जन्म प्रमाण पत्र पर जो उल्लेख किया गया है वह 24.11.1984 है। मैं इस तथ्य से भी प्रभावित हूँ कि जन्म प्रमाण पत्र में याचिकाकर्ता की जन्म तिथि का पंजीकरण 26.11.1984 यानी उसके जन्म के 2 दिन बाद किया गया था। इसलिए, जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज याचिकाकर्ता की जन्म तिथि में किसी भी हेरफेर की कोई संभावना नहीं है। यदि जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से अब जन्म तिथि दर्ज की गई होती तो मामला पूरी तरह से अलग होता क्योंकि तब अदालत एक पल के लिए सोच सकती है कि याचिकाकर्ता की कार्रवाई विचार के बाद की गई है, लेकिन चूंकि, जन्म तिथि याचिकाकर्ता की जन्म तिथि के ठीक दो दिन बाद दर्ज की गई थी, यह इस तथ्य को विश्वास दिलाता है कि वह वास्तव में 24.11.1984 पर पैदा हुई थी।

(8) याचिकाकर्ता के सामने एकमात्र बाधा सीबीएसई के परीक्षा उपनियमों के खंड 69.2 (iv) में प्रदान की गई सीमा की अवधि है, जिसके आधार पर प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है। इस संबंध में, याचिकाकर्ता ने अरुण बनाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड³ के मामले में केरल उच्च न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जन्म तिथि में सुधार के लिए आवेदन करने के लिए खंड 69.2 (iv) में प्रदान की गई सीमा की अवधि केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए है और सीमा अधिनियम, 1961 के तहत प्रदान किए गए उपाय को रोकने के लिए सीमा की अवधि नहीं है।

(9) इस प्रकार, उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी सुविचारित राय है कि याचिकाकर्ता को एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है जिसका समाधान किया जाना है। और इसलिए, वर्तमान याचिका का निपटारा प्रतिवादी को एक निर्देश के साथ किया जाता है कि वह याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करे जो उसके पास लंबित है, इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर और मैट्रिक प्रमाण पत्र में उसकी जन्म तिथि को सही करने के बाद, उसके बाद 15 दिनों की अवधि के भीतर उसे जारी करें।

पी. एस. बाजवा

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

महीपाल
3D1604
ट्रंसलेटर